(a) the number of open level crossings from Churchgate to Virar on Western Railway separately;

(b) the names of the proposed Flyover Bridges on these lines and how long it will take to complete these proposed Flyover Bridges;

(c) whether Government have drawn a plan to have Flyover Bridges on all these level crossings in near future; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) Churchgate—Virar Section—18.

Bombay V.T.—Karjat Section—29.

(b) Road-over-bridges at the following locations have been sanctioned and are in varying stages of progress:—

(i) Between Vikhroli and Kanjur Marg stations.

(ii) Between Matunga Road and Mahim stations.

(iii) Near Ambarnath station.

(iv) Between Mahim and Bandra stations.

(v) Between Goregaon and Malad stations.

(vi) Between Santacruz and Vile-Parle stations.

(vii) Between Kandivali and Borivali stations. Road-over-bridges as stated at items (i) and (ii) are nearing completion. Commissioning of the remaining road-over-bridges will depend mainly on completion of the approaches by the concerned road authority.

(c) and (d) Railways undertake construction of road-over/under-bridges in replacement of busy level crossings jointly with State Governments/Local Authority, on cost sharing basis, depending upon the priorities accorded by them. One road-under-bridge in lieu of the existing level crossing near Goregaon has accordingly been included in Railways' Works Programme of 1988-89

दिल्ली में पब्लिक स्कूल

968. **श्री रशीद मसूद** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और उसके निकटवर्ती शहरों में गत तीन वर्षों में निजी क्षेत्र में अनेक पब्लिक स्कूल खोले गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है और प्रशासन द्वारा इन्हें अनेक प्रकार की सुविधायें भी उपलब्ध कराई गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन स्कूलों के विरूद्ध अधिक फीस लेने, कर्मचारियों को कम वेतन देने, पढ़ाई के लिये उचित इन्तजाम न होने, आदि के संबंध में प्रशासन को शिकायतें प्राप्त हुई है : और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन शिकायतों के विरूद्ध गत वर्ष किन-किन विद्यालयों के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की : और यदि कोई कार्यवाही नही की गई तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल. पी. शाही) : (क) यह बात स्पष्ट नहीं है कि "प्राइवेट स्कूलों में पब्लिक स्कूलों" का आशय क्या है । फिर भी भारती पब्लिक स्कूल सम्मेलन से सम्बद्ध स्कूलों की संख्या 57 है और पिछले कुछ वर्षों में इसकी संख्या में वृद्धि नही हुई है ।

(ख) से (घ) मोटे तौर पर स्कूली शिक्षा की देखभाल संबंधित राज्य द्वारा की जाती है। दिल्ली में स्कूलों को दिल्ली-स्कूल-शिक्षा-अधिनियम, 1973 के प्रावधानों से विनियमित किया जाता है जिसे उपयुक्त संशोधनों से और अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव है। सम्बन्धित राज्य एजेन्सियां अपने-अपने राज्यों में [illegible] को उपयुक्त रूप से विनियमित [illegible]। जब कभी भी कोई कदाचार [illegible] मामला शैक्षिक प्राधिकारियों [illegible] लाया जाता है तो नियमों और [illegible] के अन्तर्गत यथा प्रदत्त उप- कार्रवाई की जाती है।

[illegible]रवहन निगम के बेड़े में बसें

[illegible]9. श्री रशीद मसूद : क्या जल-[illegible] परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में कितनी-कितनी बसें चल रही थी एवम् प्रति वर्ष कितनी नई बसें इन बेड़े में सम्मिलित की गई ; और

(ख) उन बसों की संख्या क्या थी जिन्हें चलने लायक न होने के कारण बेड़े से निकाल दिया गया ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम की प्रचालित बसों, अपने बेड़े में जोड़ी गई नई बसों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान जितनी बसों को रद्द किया गया, उनकी संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	वर्ष के दौरान दि०प०नि० की औसत बसें चली	दि०प०नि० की नई बसों की संख्या	प्रचालन के लिए अनुपयुक्त होने के कारण दि०प०नि० की रद्द बसों की संख्या
1984–85	3440	746	842
1985–86	3452	17	23
1986–87	3520	203	159

वर्ष 1987-88 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को 475 बसें खरीदने की संस्वीकृति प्रदान की गई है।

[S]creening facilities to check communicable disease at the blood banks

970. SHRI ANAND SHARMA: Will [th]e Minister of HEALTH AND FAMILY [W]ELFARE be pleased to state:

(a) what are the steps taken by the Gov[er]nment to prevent the spread of communi[ca]ble disease through blood; and

(b) the details of the screening facili[ties] available at the blood banks and [ho]spitals for screening the blood donors in [th]e country?

THE MINISTER OF STATE IN THE [M]INISTRY OF HEALTH AND FAMILY [W]ELFARE (KUMARI SAROJ KHAPA[R]DE): (a) and (b) Government through Drugs & Cosmetics Act direct blood banks to test blood for diseases like Syphilis, hepatitis B and malaria to prevent spread of disease transmissible by blood transfusion. Under the regulations, each blood bank is required to conduct these tests on blood before transfusion, which is monitored by the Drugs Controllers of States and U.T. Governments.

National waterways

971. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to refer to the reply to Unstarred Question 1967 given in the Rajya Sabha on the 25th November, 1987 and state: